भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4054
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटित निधि

4054. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित और उपयोग किए गए बजट का वर्षवार, राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पहले से संपर्कविहीन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा जोड़े गए गांवों की संख्या का डेटा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आबंटित निधि के केंद्रीय हिस्से का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत , विशेषकर आंध्र प्रदेश में , बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण किए गए पुलों के उन्नयन का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (घ) आंध्र प्रदेश सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी कुल केंद्रीय अंश और किए गए व्यय का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य को निधियों का आवंटन/निधि जारी करना राज्य से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है , जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में चल रहे कार्यों , निष्पादन क्षमता और अप्रयुक्त शेष राशि पर निर्भर करता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि मंत्रालय द्वारा राज्य को एक इकाई के रूप में जारी की जाती है। जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को निधियां आगे पीआईयू की निधि उपयोग क्षमता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।

पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन के बारे में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के बापटला और प्रकाशम जिलों के कुछ भाग शामिल हैं। बापटला और प्रकाशम जिलों सहित उक्त अवधि के दौरान जारी निधियों और किए गए व्यय का जिलेवार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in > Progress Monitoring > MPR1 पर देखा जा सकता है।

(ख) और (ङ.) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत निर्मित सड़क और पुल कार्यों की कुल संख्या का विवरण, आंध्र प्रदेश के जिलेवार ब्योरे सहित राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) जी हाँ, पीएमजीएसवाई के विभिन्न चल रहे कार्यकलापों/घटकों के तहत कुल 8,28,963 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है , जिसमें से 7,75,207 किलोमीटर सड़क लंबाई पहले ही निर्मित की जा चुकी है और 36,177 किलोमीटर सड़क लंबाई निर्माण के विभिन्न चरणों में है। पीएमजीएसवाई के तहत दिनांक 19.03.2025 तक कार्यकलापों/घटकों के अनुसार वास्तविक उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार है:

(सड़क लंबाई किमी में)

कार्यकलापों/घटकों का नाम	**स्वीकृत**	**निर्मित**	**शेष***
पीएमजीएसवाई -I	6,44,875	6,24,787	4,316
पीएमजीएसवाई -II	49,795	49,053	200

आरसीपीएलडब्ल्यूईए	12,228	9,424	2,699
पीएमजीएसवाई III	1,22,065	91,943	28,962
कुल:	**828,963**	**7,75,207**	**36,177**

**शेष सड़क लंबाई स्वीकृत और निर्मित सड़क लंबाई के अंतर से कम है , इसका कारण यह है कि सड़क की लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण आदि के कारण कुछ परियोजनाएं स्वीकृत लंबाई से कम में पूरी की गई है।*

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम की इकाई एक बस्ती है। देश में कोर नेटवर्क में कुल 1,63,201 पात्र असंबद्ध बस्तियों में से , 1,62,765 बस्तियों को पीएमजीएसवाई-I के तहत पहले ही बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। बस्तियों की संपर्कता का राज्यवार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmgsy.nic.in >Progress Monitoring > Habitations Coverage Report पर देखा जा सकता है।

***

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4054 के भाग (क) एवं (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य अंश सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार, राज्यवार जारी कुल केंद्रीय निधियां और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राज्य	जारी निधि					व्यय(राज्य अंश सहित)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	9.22	12.22	12.22	0.00	3.78	5.45	7.51	22.93
2	**आंध्र**	**476.2**	**53.20**	**50.00**	**644.1**	**140.64**	**338.84**	**396.75**	**508.86**	**748.63**	**368.03**

	प्रदेश	7			3						
3	अरुणाचल प्रदेश	1123.00	952.31	1090.60	1018.74	339.90	1,270.03	1,429.61	1,279.07	1,246.99	320.09
4	असम	2401.88	2516.62	1591.50	664.91	391.29	3628.93	2600.19	2,488.03	1,118.21	571.22
5	बिहार	286.70	49.13	375.00	1443.23	963.37	1552.37	2173.52	1,992.99	2,088.54	1,815.63
6	छत्तीसगढ़	1614.60	924.48	394.41	995.87	401.77	1159.70	1985.94	1,902.34	1,057.35	388.09
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	79.08	195.50	266.63	298.41	29.35	133.32	400.16	492.19	330.33
9	हरियाणा	16.03	0.00	353.23	168.25	74.01	0.48	92.10	583.12	213.81	150.86
10	हिमाचल प्रदेश	1284.89	745.24	517.45	624.76	617.56	724.34	1061.00	933.22	626.84	371.54
11	जम्मू एवं कश्मीर	695.50	1727.30	1328.34	717.00	1304.17	1324.12	932.37	1,485.28	1,114.78	1,256.96
12	झारखंड	214.41	293.50	0.00	332.63	752.80	1312.94	1083.34	598.44	745.63	1,323.90
13	कर्नाटक	534.24	49.29	704.25	720.47	72.25	1.10	728.40	1,499.18	864.71	404.03
14	केरल	48.64	89.97	0.00	106.76	54.25	122.18	71.76	46.91	124.97	164.95
15	मध्य प्रदेश	1308.97	1099.54	1392.25	1557.47	599.42	1799.47	2166.99	2,419.14	1,978.73	1,105.16
16	महाराष्ट्र	150.00	0.00	0.00	743.00	1110.80	207.12	221.59	376.73	1,074.02	1,507.37
17	मणिपुर	263.85	420.66	742.00	744.98	161.29	487.23	601.46	710.58	539.11	296.83

18	मेघालय	357.00	355.29	483.92	405.89	122.59	289.79	473.71	536.92	373.72	238.19
19	मिजोरम	576.06	1.59	74.34	584.20	141.37	285.18	277.32	332.86	315.94	381.62
20	नागालैंड	88.89	72.89	145.31	183.15	161.29	70.80	144.70	125.83	198.65	94.01
21	ओडिशा	798.11	774.29	404.12	1235.88	1262.55	2489.91	1754.13	1,795.5	2,088.9	1,589.8
22	पुदुचेरी	0.00	0.00	11.66	24.72	0.27	0.00	0.00	0.00	27.08	11.89
23	पंजाब	0.00	0.00	68.59	231.06	265.10	32.10	2.67	295.14	428.72	522.95
24	राज स्थान	184.74	237.15	917.51	199.90	404.79	289.11	492.13	1,452.64	372.38	633.09
25	सिक्किम	4.39	195.50	107.28	263.33	94.37	175.11	178.52	177.89	230.34	130.13
26	तमिलनाडु	308.46	265.38	440.00	613.70	411.36	799.29	626.92	1,169.56	532.36	777.78
27	त्रिपुरा	10.64	69.57	73.88	267.59	185.03	97.43	99.25	202.93	152.90	112.64
28	तेलंगाना	267.38	0.00	86.38	321.43	296.9625	289.44	288.59	410.80	345.32	479.41
29	उत्तर प्रदेश	78.07	123.90	1418.55	2068.57	2679.63	356.63	440.19	2,074.26	3,267.32	3,791.65
30	उत्तराखंड	554.90	1536.27	787.00	1297.16	551.05	1080.48	1493.50	1,218.45	1,350.02	800.68
31	पश्चिम बंगाल	348.25	969.31	49.94	381.03	99.275	1512.52	1471.94	701.28	394.75	309.11
32	लद्दाख	0.00	50.00	140.79	109.97	37.50	0.00	514.73	109.66	107.81	30.44
	कुल	**13995.87**	**13651.46**	**13952.99**	**18948.61**	**14007.29**	**21725.99**	**23940.42**	**27,833.22**	**24,228.27**	**20,301.27**

<u>**अनुबंध-II**</u>

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4054 के भाग (ख) और (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों और पुलों की संख्या का राज्यवार विवरण:

क्र.स.	**राज्य**	**निर्मित***	
		सड़कें	**पुल**
1	अंडमान और निकोबार	73	0
2	आंध्र प्रदेश	**602**	**128**
3	अरुणाचल प्रदेश	426	179
4	असम	3332	1109
5	बिहार	2514	1076
6	छत्तीसगढ़	1741	192
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	258	45
9	हरियाणा	244	0
10	हिमाचल प्रदेश	1098	50
11	जम्मू और कश्मीर	1510	151
12	झारखंड	2115	324
13	कर्नाटक	709	91
14	केरल	164	3
15	मध्य प्रदेश	1886	930
16	महाराष्ट्र	399	154

17	मणिपुर	379	106
18	मेघालय	575	89
19	मिजोरम	122	0
20	नगालैंड	45	53
21	ओडिशा	4315	344
22	पुदुचेरी	30	0
23	पंजाब	157	4
24	राजस्थान	896	40
25	सिक्किम	179	50
26	तमिलनाडु	1977	66
27	त्रिपुरा	136	16
28	उत्तर प्रदेश	2020	11
29	उत्तराखंड	1195	232
30	पश्चिम बंगाल	1834	54
31	तेलंगाना	331	144
32	लद्दाख	51	1
	कुल	**31,313**	**5,642**

* पिछले वर्ष स्वीकृत कार्य शामिल हैं

पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों और पुलों की संख्या का जिलावार विवरण:

क्र.स.	जिलों का नाम	निर्मित*	
		सड़कें	पुल
1	अनंतपुर	15	6
2	चित्तूर	33	1

3	वाई एस आर कडपा	20	1
4	पूर्वी गोदावरी	7	1
5	गुंटूर	5	0
6	कृष्णा	8	0
7	कुरनूल	8	9
8	नेल्लोर	17	15
9	प्रकाशम	**12**	**27**
10	श्रीकाकुलम	23	2
11	विशाखापत्तनम	2	0
12	विजयनगरम	15	0
13	पश्चिम गोदावरी	2	2
14	पार्वतीपुरम मान्यम	64	5
15	अनकापल्ली	16	1
16	अल्लूरी सीतारमा राजू	250	22
17	काकीनाडा	6	0
18	एलुरु	7	1
19	एनटीआर	2	2
20	बापतला	**3**	**6**
21	पालनाडु	12	2
22	तिरुपति	17	12
23	अन्नमय्या	27	0
24	श्री सत्य साई	10	2

25	नांदयाल	12	7
26	डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा	9	4
	कुल	**602**	**128**

* इसमें पहले से स्वीकृत कार्य शामिल हैं

***